XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
07.10.2011		

न्यायालय, समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

वासगीत पर्चा पुनरीक्षण वाद संख्या–50/07

धारा–21 बी0पी0पी0एच0टी0 एक्ट अन्तर्गत

सुन्दर लाल उरांव, पिता–स्व0 कंगाली उरांव, साकिन–दमका, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ..... .....

आवेदक

बनाम्

मंगलू उरांव, पिता–बंधु उरांव, साकिन–दमका, थाना–सदर, जिला–पूर्णियाँ .....

विपक्षी

आदेश

आवेदक अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा वाद संख्या–32/94–95 में दिनांक 26.07.1994 को पारित आदेश के विरूद्ध यह वाद प्रारम्भ किया है। आवेदक का कथन है कि विपक्षी ने गलत तरीके से मौजा–दमका, खाता संख्या–190, खेसरा संख्या–476, रकवा–6 डिसमिल जमीन का वासगीत पर्चा अपने नाम बनवा लिया है। आवेदक उपरोक्त खाता की कुल जमीन रकवा–47 डिसमिल मसोमात बिन्दु देवी, पति–स्व0 टुंगी उरांव से निबंधित केवाला द्वारा दिनांक 06.07.1987 को खरीद कर दखलकार है और मालगुजारी रसीद भी कटाते है। वासगीत पर्चा के बजाप्ता नकल को देखने पर पता चला कि विपक्षी ने भूधारी में दुर्गालाल भगत, पिता–टुनाई उरांव, साकिन–दमका का नाम दिया है, जबकि जमीन का मालिक आवेदक है। इस प्रकार गलत तथ्यों के आधार पर विपक्षी के नाम अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा वासगीत पर्चा निर्गत किया गया। आवेदक का कहना है कि पर्चाधारी न तो प्रश्रय प्रापत रैयत है और न ही पर्चावाली जमीन पर वे दखलकार है। अतः आवेदक निवेदन करता है कि विपक्षी के नाम निर्गत पर्चा को रद्द करने की कृपा की जाय।

विपक्षी की ओर से प्रत्युत्तर नहीं दी गयी है।

अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व ने अपने प्रतिवेदन द्वारा प्रतिवेदित किया है कि पर्चाधारी 08 वर्ष पूर्व घर तोड़कर अन्य गाँव में अपनी पुत्री के पास रह रहे हैं। पर्चाधारी बुढ़े हो चुके है और एकमात्र पुत्री ही है। ग्रामीणों से पूछताछ से पता चला कि अब पर्चाधारी के गाँव लौटने की संभावना नहीं है। प्रश्नगत जमीन वर्तमान में आवेदक के दखल–कब्जा में है।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक 04.07.2011 को सुनवाई किया गया। विपक्षी अनुपस्थित थे। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि नोटिश तामिला होने के बाबजूद भी विपक्षी लगातार अनुपस्थित रहे। सुनवाई के दिन उपस्थित रहने का स्पष्ट निदेश देने के बाबजूद भी विपक्षी अनुपस्थित रहे। इससे स्पष्ट होता है कि इस वाद के निष्पादन में विपक्षी को कोई रूचि नहीं है एवं जान बुझकर विलम्ब करने की मंशा से किया जा रहा है।

XIV-Form No. 563.

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि विवादित जमीन पर विपक्षी का दखल कब्जा नहीं है। अंचलाधिकारी के प्रतिवेदन में भी यह बात स्पश्ट किया गया कि पर्चा की जमीन पर आवेदक का ही दखल–कब्जा है।

पुनः दिनांक 07.10.2011 को अभिलेख सुनवाई हेतु रखा गया।

उपरोक्त तथ्यों, अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन एवं सुनवाई के उपरान्त स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन में पर्चाधारी का दखल–कब्जा नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि अंचलाधिकारी, पूर्णियाँ पूर्व द्वारा पारित आदेश न्यायसंगत नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में निम्न न्यायालय के आदेश को खारिज किया जाता है। इस निर्णय के साथ इस वाद की कार्रवाई को समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ

समाहर्त्ता, पूर्णियाँ